न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–51/2023

जीसीएमएस नंबर :–2023/103
रजु तारीखः– 29.09.2023

1. पालु पुत्री सुजानाराम पत्नी चूतराराम जाति–विश्नोई, निवासी सरनाऊ, तहसील–सांचौर, हाल निवासी परावा, तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर ।

प्रार्थीया.....

1. पूनमचंद पुत्र सुजानाराम जाति–विश्नोई, निवासी सरनाऊ, तहसील सांचौर।
2. भीखी पुत्री सुजानाराम पत्नी नारणा राम जाति–विश्नोई, निवासी–दाता, तहसील सांचौर, हाल निवासी–बुल, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मेर।
3. अशोक पुत्र पूनमचंद।
4. सुमेर पुत्र पूनमचंद।
5. कैलाश पुत्र पूनमचंद।
6. केलीदेवी बैवा सुजानाराम जातियान–विश्नोई, निवासीगण सरनाऊ, तहसील सांचौर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
8. हल्का पटवारी पटवार हल्का सरनाऊ
9. हल्का पटवारी, पटवार हल्का नैनोल

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

उपस्थितः–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्नोई।
2. अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया।

दिनांकः–29.01.2025

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 01 से 06 तक एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो स्व. सुजानाराम पुत्र सुरा जाति–विश्नोई, निवासी–सरनाऊ के जाईन्दा पुत्र, पुत्रीया एवं जायज वारीसान एवं उत्तराधिकारी है मौजा सरनाऊ में खसरा नं. 268, 270, 271, 272, 322, 323, 324 जुमले रकबा 7.82 हेक्टेयर आराजी में स्व. सुजानाराम का 1/5 हिस्सा, खसरा नं. 273, 274, 275/1388, 276 जुमले रकबा 4.09 हेक्टेयर आराजी में स्व. सुजानाराम का पूर्ण हिस्सा, खसरा नं. 269 रकबा 0.49 हेक्टेयर स्व. सुजानाराम का 1/5 हिस्सा खसरा नं. 275 रकबा 1.72 हेक्ट. खसरा नं. 321/1411 रकबा 0.16 हेक्टे. में स्व. सुजानाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी आया हुआ है।
मौजा दाता में आराजी खसरा नं. 1189/1086, 194, 194/1086, 236, 806, 258 जुमले रकबा 10.71 में स्व. सुजानाराम का 1/2 हिस्सा, खसरा नं. 177, 179, 180, 181, 269/1281, 269/1282, 807, 807/1283, 808/1301, 810/1302 जुमले रकबा 3.75 हेक्टेयर में स्व. सुजाराराम का 1/10 हिस्सा आया हुआ है।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से स्व. सुजानाराम की खातेदारी आराजी व प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 01 ता 06 की संयुक्त परिवार की पुस्तेनी पैतृक पारीवारिक आराजी आई हुई हैं। जिस पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त आया हुआ है। जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त स्व. सुजानाराम के नाम से आई हुई हैं। मौके पर अलग कर माठे कायम की हुई हैं तथा कब्जा काश्त संयुक्त परिवार का आया हुआ हैं। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 01 से 06 स्व. सुजानाराम के जाईन्दा पुत्र, पुत्रीया होने से स्व. सुजानाराम के जायज वारीसान एवं उत्तराधिकारीगण होने से मौजा दाता एवं सरनाऊ में स्थिति उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से स्व. सुजानाराम की खातेदारी आराजी में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बाई बर्थ राईट पैदा होने से प्रार्थीया का नौशनल शेयर पैदा होने से प्रार्थीया का हिस्सा सजित होने से प्रार्थीया को प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार है प्रार्थीया का प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी पर शांतिपूर्वक बरोकटोक निरन्तर कब्जा काश्त आया हुआ हैं। अप्रार्थी सं. 01 पूनमचंद ने मौजा दाता एवं सरनाऊ में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से स्व. सुजानाराम की खातेदारी अनार्थी सं. 01 पूनमचंद ने हड़पने की नियत से व प्रार्थीया को प्रार्थीया के हिस्से से वंचित खने की नियत से सब रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार सांचौर व हल्का पटवारी से मिलावट कर एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयत सुजानाराम द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पूनमचंद के पक्ष में अवैध तैयार कर उक्त फर्जी एवं कुटरचित वसीयत की रूह से उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से स्व. सुजानाराम की खातेदारी आराजी का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 01 पूनमचंद के नाम खोला जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं. 01 पूनमचंद के नाम की दुरूस्ती करने हेतु नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसीलदार सांचौर के समक्ष विचाराधीन है। जबकि उक्त कूटरचित एवं फर्जी वसीयत से अप्रार्थी पूनमचंद को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं। स्व. सुजानाराम ने अपने जीवित काल में कोई वसीयत अप्रार्थी सं. 01 पूनमचंद के पक्ष में निष्पादित नही करवाई थी। स्व. सुजानाराम की खातेदारी आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 01 से 06 की पुश्तैनी पारिवारीक आराजी आई होने से प्रार्थीया का नोशनल शेयर पैदा होने से प्रार्थीया का प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी पर प्रार्थीया का शांति पूर्वक बरोकटोक शांति पूर्वक निरन्तर कब्जा काश्त आया हुआ हैं। आज से चार रोज पूर्व प्रार्थीया, प्रार्थीया के बंट व हिस्से की आराजी पर काश्त कार्य कर रही थी इतने में अप्रार्थीगण ने एक नाजायज मजमा बनाकर मौके पर आकर प्रार्थीया को उक्त आराजी छोड़कर चले जाने की एवं उक्त आराजी किसी तीसरे अजनबी व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण करने की मौखिक एलानिया धमकी दी जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा आया होने से प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी पर प्रार्थीया का शांति पूर्वक बरोकटोक निरन्तर कब्जा काश्त आया हुआ हैं। उक्त आराजी में कब्जा काश्त प्रार्थीया का होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में हैं जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थीया का प्रार्थीया के हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थीया का होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं। यदि प्रार्थीया को प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी से प्रार्थीया को जबरदस्ती बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जो रूपयो पैसो में आंकी नहीं जा सकती हैं अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी फरमाई जावे कि मौजा दाता व सरनाऊ में स्थित खातेदारी आराजी जिसका वर्णन प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण स्वयं दखलअंदाजी नहीं करे व

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करावे व उक्त अराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बैचान, रहन, हस्तान्तरण, तर्क, वसीयत आदि न करे व ना ही इसका अन्य संक्रमण करे या करावें तथा मूलवाद के निस्तारण तक मौका एवं रास्वज रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी बंट हिस्से में किसी प्रकार काश्त करने से नहीं रोके व प्रार्थीगण के पुश्तैनी बंट हिस्से, हक एवं कब्जे की भूमि में जबरन प्रवेश कर काश्त नहीं करे एवं न ही करावें तथा किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही करावें तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत,आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 04 ता 05 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजि. डाक से नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 02,03 व 05 से 09 रजि0 डाक नोटिस बाद तामिली के उपरांत भी अनुपस्थित। अतः उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी 4 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया। अतः अप्रार्थी 4 का जवाब बन्द किया गया।

3. अप्रार्थीगण संख्या 01 ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह है कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 01 एवं अवतरण संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। मौजा सरनाऊ के नवीन खाता संख्या 32 नवीन खसरा नम्बर 268 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 323 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.61 हैक्टर कुल रकबा 7.82 हैक्टर व नवीन खसरा नम्बर 269 के पुराना खसरा नम्बर 115मी थें। जो पुराना खसरा नम्बर 113 मी, खसरा नम्बर119मी, खसरा नम्बर 114 मी, खसरा नम्बर 115 मी, खसरा नम्बर 112 से नवसृजित हुए। जो उक्त आराजी मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम के स्व–अर्जित भूमि है। जो प्रथम खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 में खुद काश्त के रूप में खातेदारी सुजानाराम के नाम दर्ज हुई है। जो मिसल बन्दोबस्त संवत 2012–2031 से स्पष्ट है। मौजा सरनाऊ के नवीन खाता संख्या 317 के नवीन खसरा नम्बर 273, खसरा नम्बर 274, खसरा नम्बर 275/1388, खसरा नम्बर 276 कुल रकबा 4.09 हैक्टर, जो पुराना खसरा नम्बर 110,117 मी., 118 थें। जिसमें पुराना खसरा नम्बर 117 व 118 मंगला वल्द गिरधारी के नाम की थी। जिस मुझ अप्रार्थी के पिता ने जरिये वैचान रजिस्ट्री से सन 1968 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो नामान्तरण संख्या 71 के जरिये स्वीकृत होकर मेरे पिता सुजानाराम के नाम खातेदारी अमल दरामद हुई। पुराना खसरा नम्बर 118 में से भूमि मंगला पुत्र गिरधारी से दिनांक 08.08.1966 को जरिये बैचान रजिस्ट्री सुजानाराम ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका नामान्तरण संख्या 68 स्वीकृत होकर इनके नाम खातेदारी अमल दरामद हुई हैं। इसी प्रकार पुराना खसरा नम्बर 117 की भूमि काना पुत्र लुम्बा, कालु पुत्र काना के नाम की थी। जिससे मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम ने सन् 1968 में खरीद की थी। जिसके नामान्तरण संख्या 71 के जरिये मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned with OKEN Scanner

नाम अमल दरामद हुई। इसी ग्राम के नवीन खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 275 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/1411 रकबा 0.16 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 116 से नवसृजित हुए है। जो उक्त पुराना खसरा नम्बर 116 काना पुत्र लुम्बा के नाम से थें। जिससे मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम ने जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 06.06.1967 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जो नामान्तरण संख्या 82 के जरिये सुजानाराम के नाम से खातेदारी अमल दरामद हुई तथा मौजा दाता के खसरा नम्बर 1189/1085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 194/1086 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 4.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.096 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.04 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 82मी, 100मी, 256 मी से नवृसजित हुए है। जो प्रथम बन्दोबस्त मे ही मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम पिता सुरा के नाम दर्ज हुई, जिससे उक्त आराजी मुझ अप्रार्थी के पिता सुजाराम की स्व–अर्जित भूमि हैं। इसी प्रकार मौजा दाता के नवीन खाता संख्या 271 के खसरा नम्बर 177, खसरा नम्बर 179, खसरा नम्बर 180, खसरा नम्बर 181, खसरा नम्बर 269/1282, खसरा नम्बर 279/1281, खसरा नम्बर 807, खसरा नम्बर 807/1283, खसरा नम्बर 808/1301, खसरा नम्बर 810/1302 कुल रकबा 3.75 हैक्टर, जो पुराने खसरा नम्बर 74मी, 108 मी, 257मी से बने हुए है। जो प्रथम मिसल बन्दोबस्त में मुझ अप्रार्थी के पिता सुजाना वल्द सुरा के दर्ज हुई है। जिससे साबित है कि उक्त आराजी भी मुझ अप्रार्थी के पिता की स्व–अर्जित थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीया कोई हक हकूक कब्जा उपयोग नहीं है। उक्त आराजी स्व–अर्जित होने से मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम को बैचान, हस्तान्तरण, वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होने से अंतिम रूप से वसीयत दोनो गांवो की मुझ अप्रार्थी पुनमचंद के पक्ष में दिनांक 12.02.2016 को अंतिम वसीयत कर दी है। जिससे उक्त आराजी का मालिकाना हक हकूक कब्जाकाश्त उपयोग मुझ अप्रार्थी को निहीत हो चुका है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अवतरण संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है तथा जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय सुजानाराम की खरीदसुदा स्व–अर्जित भूमि है। जो प्रार्थीया के पुश्तैनी नहीं है। जिससे प्रार्थीया कानूनीया इस आराजी में जन्मसिद्ध अधिकार पाने की हकदार नहीं है। जिससे प्रार्थीया का कोई हक हकूक अधिकार नहीं होने से उक्त आराजी में प्रार्थीया का कोई नोशनल शेयर कानूनीया हक हिस्सा नहीं होने से प्रार्थीया किसी प्रकार की खातेदारी पाने की हकदार नहीं होने से दावा खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी के पक्ष में विधिवत सहीं अंतिम वसीयत मेरे पिता द्वारा किये जाने से उक्त दोनो गांवो की आराजी का मालिकाना हक हकूक नियत हो जाने से उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा पाने का मै अप्रार्थी कानूनी हकदार होने से काउन्टर क्लेम खातेदारी घोषणा का पेश किया जा चुका है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अवतरण संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है तथा जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी पर मुझ अप्रार्थी के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति का हक हकूक कब्जा अधिकार नहीं होने से उक्त आराजी में प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी के कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं न ही करावें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु काउन्टर क्लेम पेश है। वादग्रस्त आराजी का वसीयत करने का मुझ अप्रार्थी के पिता सुजानाराम को मुझ अप्रार्थी पूनमचंद को करने का पूर्ण अधिकार होने से विधिवत अंतिम वसीयत मुझ पूनमचंद के पक्ष मे निष्पादित की गई है, जो सहीं एवं सत्य है तथा किसी भी प्रकार से कूट रचित या फर्जी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned with OKEN Scanner

है। कूट रचित या फर्जी होने के कथन प्रार्थीया ने सरासर मिथ्या निराधार एवं आधारहीन किये है। वादग्रस्त आराजी स्व सुजानाराम की स्व–अर्जित थी। जिस संबंध में वसीयत के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही में तहसीलदार सांचौर द्वारा दोनो गांवो की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 को तलब की गई, जिसमें वादग्रस्त आराजी हल्का पटवारी सरनाऊ पटवार हल्का व दाता में अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्टतौर से अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी स्व–अर्जित है। प्रतिलिपि जाचं रिपोर्ट संलग्न है। जिससे भी साबित है कि उक्त आराजी स्व–अर्जित सुजानाराम की थी। वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय सुजानाराम की पुश्तैनी नहीं होने से उनकी स्व–अर्जित होने से उन्होने ने अपने जीवन काल में सम्पूर्ण रूप से भूमि का वसीयत अंतिम रूप से मुझ अप्रार्थी पूनमचंद के पक्ष में कर देने से प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा खातेदारी पाने के हकदार नहीं होने से दावा खारिज योग्य है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का कोई कब्जा हक हिस्सा नहीं होने से किसी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का कानूनी हकदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जबकि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय सुजानाराम की स्व–अर्जित होने से उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होने से विधिवत वसीयत करने से सम्पूर्ण मालिकाना हक कब्जा अधिकार मुझ अप्रार्थी पूनमचंद को प्राप्त हो चुका है। जिससे उक्त आराजी में प्रार्थीया या अन्य किसी प्रकार का कब्जा मालिकाना हक उपयोग नहीं होने से जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 की पुश्तैनी नहीं है। उक्त आराजी स्वर्गीय सुजानाराम की खरीदसुदा स्व अर्जित भूमि है। जो मुझ अप्रार्थी को सुजानाराम ने अंतिम वसीयत कर दी है। जिससे तमाम मालिकाना हक हकूक कब्जा अधिकार मुझ पूनमंचद को प्राप्त हो चुका है। जिससे प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी पूनमचंद के पक्ष में है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण अधिकार हक स्वर्गीय सुजानाराम की स्व–अर्जित भूमि का अप्रार्थी पूनमचंद के पक्ष किये जाने से मालिकाना हक कब्जा उपयोग अधिकार पूनमचंद को प्राप्त हो चुका है। जिससे उक्त हक अधिकार से पूनमचंद को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो पूनमचंद को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आधारहीन, मन घड़त एवं विधि विरूद्ध होने से एवं प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष मे एवं प्रार्थीया के विरूद्ध होने से खारिज फरमावें तथा एक पक्षीय आदेश दिनांक 09.04.2024 अपास्त फरमावे प्रकरण में उभयपक्षकारान में योग्य अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क किया कि अप्रार्थी ने फर्जी जाली वसीयत करा दी है। वादग्रस्त भूमि वादीया की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीया का कानूनी हक हिस्सा है। प्रार्थीया स्व. सुजानाराम की प्रथम अनुसूचि की विधिक वारिस है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ता फैसल मूल वाद वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखने हेतु पाबंद फरमावे।
5. प्रत्युत्तर में अप्रार्थी सं. अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस प्रार्थी पक्ष के तर्को का घोर विरोध करते हुए जवाब के तमाम अवतरण को दोहराते हए तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी स्व. सुजानाराम की खरीद सुदा स्व अर्जित भूमि है जो स्व. सुजानाराम ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा अप्रार्थी पुनमचंद के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जिससे प्रार्थीया का कोई कानुनी हक हकुक नहीं है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त वसीयत के संबंध में मांगी गई जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार जांच में उक्त संपूर्ण वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित होना पाया गया है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आधारहीन व कानुनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे। तथा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश भी आगे बढ़ाने योग्य नहीं होने से खारीज फरमावे।

6. अधिवक्तागण की बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारयुक्त बिंदुओ के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना समुचित समझते है।

(1) प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त आराजी ग्राम सरनाऊ व दाता की पुराना खसरा नं. की भुमि का बैचान दस्तावेज के अनुसार स्व. सुजानाराम की भुमि जरिये बेचान दस्तावेज खरीदसुदा होना प्रकट होता है। तथा उक्त बेचानामा के अनुसार आराजी का नामान्तरण स्वीकृत होकर स्व. सुजानाराम के नाम खातेदारी अमल दरामद होना दस्तावेजी सबुत से प्रकट होता है। वादग्रस्त आराजी अन्य खसरा नम्बर के अनुसार मिसल बंदोबस्त प्रथम के अनुसार सुजानाराम पुत्र सुराराम के नाम दर्ज है, जिससे भी प्रार्थीया की पुश्तैनी होना साबित नहीं होता है। तहसीलदार सांचौर द्वारा संबंधित पटवारी से मंगवाई गई जांच रिपोर्ट से भी उक्त आराजी स्व अर्जित होना उल्लेखित किया है। जिससे स्वअर्जित भूमि में प्रार्थीया का हक अंतिम वसीयत होने के बाद किस प्रकार हासिल होता है, ऐसा कोई दस्तावेज या कानुनी आधार बताने में अप्रार्थी पक्ष असमर्थ रहे है, जहां तक प्रार्थी पक्ष का वसीयत फर्जी जाली कुटरचित होना का कथन किया है। इस स्तर पर पर उक्त वसीयत फर्जी जाली कुटरचित होने को कोई दस्तावेजी सबुत से साबित करने में प्रार्थी पक्ष असफल रहा है। इस प्रकार उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी पक्ष अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रार्थीया के विरुद्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

(2) सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की स्व अर्जित होना व कब्जा काश्त अपना होना कथन किया है। अतः स्व अर्जित होना साबित कर देने से सुविधा का संतुलन का विन्दु भी प्रार्थी के विरुद्व अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

(3) अपूर्णय क्षतिः– पूर्व विवेचित प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में सावित हो चुके है। जिससे वादग्रस्त आराजी के स्वअर्जित व कब्जे काश्त की अप्रार्थी का होना सावित होने से उनके हक हकुक की आराजी से अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पावंद करने से अपूरणीय क्षति प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी की होना प्रक्षलित होता है जिससे यह बिन्दु भी वहक अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

–:निर्णयः–

7. फलतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने से, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारहीन व पोषणीय नही होने से एतद द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार खर्चा अपना –अपना वहन करे। फैसला आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक (प्रमोद कुमार) सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner